

RURAL WORKS DEPARTMENT, WORKS DIVISION, ARARIA

Add Road Name in MIS Under MMGSUY[Gen]

Sl No	Division	Block	Year	Scheme	Road Name	Length	Total Cost (in Lakh)	A.A Letter / Date	Remarks
1	Araria	Araria	2025-26	MMGSUY [Gen]	NH-57 Haria Bara to Araria RS	4.100	759.268	2720 / 25.07.2025	Add Road Name


Executive Engineer
Rural Works Division Araria

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक-
प्रेषक,

मु0अ0(अ0उ0)4515-01-1021/2025 27-20

/पटना, दिनांक- 25/07/2025

उज्ज्वल कुमार सिंह, भा0प्र0से0
विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषय:-

मांग संख्या-37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय उपमुख्य शीर्ष 00 लघु शीर्ष 103 - सामान्य मद के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष -0121-मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के तहत होने वाले व्यय की राशि के लिये एक पथ में विभागीय रूप से कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करने के संबंध में।

महाराय,

निदेशानुसार मांग संख्या-37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय उपमुख्य शीर्ष 00 लघु शीर्ष 103 - सामान्य मद के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष -0121-मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथ के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये एक पथ में विभागीय रूप से कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है।

क्र स०	जिला	कार्य प्रमण्डल	प्रखण्ड	योजना का नाम	विभागीय रूप से कार्य सम्पन्न कराये जाने वाले कार्य की लम्बाई (कि०मी०)	कुल प्राक्कलित राशि (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7
1	Araria	Araria	Araria	NH-57 Haria Bara To Araria RS	4.100	759.26800
TOTAL					4.100	759.26800

- मांग संख्या-37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय उपमुख्य शीर्ष 00 लघु शीर्ष 103 - सामान्य मद के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष -0121-मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के अधीन 1998.41 करोड़ रुपये का बजट उपबंध है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में निर्धारित BOS-3 की राशि 5995.23 करोड़ (1998.41 X 3= 5995.23) के अतिरिक्त लोक वित्त समिति द्वारा दिनांक 08.05.2025 को 14626.07 करोड़ की छूट दी गयी है। प्रस्तावित एक पथ में विभागीय रूप से कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान की जाने वाली कुल राशि रू0 759.26800 लाख निर्धारित Bank of Sanction (BOS) की अधिसीमा के अधीन है।
- संबंधित कार्यपालक अभियंता, संबंधित कार्य प्रमण्डल योजनाओं के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। नियंत्री एवं व्ययन पदाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यों का विशिष्टताओं/विशिष्ट के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेंगे। किसी प्रकार की अनियमितता के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (कार्यपालक अभियंता) पूर्णतः जिम्मेवार होंगे।

4. सारणी में अंकित एक योजना का विभागीय रूप से कार्य सम्पन्न संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराया जायेगा।
5. इन योजना के चयन के प्रस्ताव पर विभागीय मंत्री महोदय का अनुमोदन संचिका संख्या- मु0अ0(अ0उ0)4515-01-97/2025 पार्ट-I, दिनांक 29.05.2025 को प्राप्त है।
6. सारणी में अंकित एक योजना का विभागीय रूप से कार्य सम्पन्न कराने हेतु प्रशासनिक अनुमोदन के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार माननीय विभागीय मंत्री महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा संचिका संख्या- मु0अ0(अ0उ0)4515-01-1021/2025 में दिनांक 19.07.2025 को अनुमोदन प्राप्त है।
7. योजना के कार्यान्वयन के पूर्व डी0पी0आर0 पर कार्यपालक अभियंता द्वारा सक्षम प्राधिकार से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
8. योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
9. एकरारनामा के पूर्व कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे की सूची में वर्णित कोई भी योजना किसी अन्य अनुरक्षण कार्यक्रम से अच्छादित नहीं हो।
10. संबंधित योजना U/SRI कैटेगरी के अन्तर्गत चिन्हित नहीं हो। यदि चिन्हित हो तो निर्धारित प्रक्रियानुसार सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के उपरान्त ही योजना कार्यान्वित की जाय।
11. बिहार कोषागार संहिता निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर उक्त योजना हेतु राशि की निकासी की जायेगी।
12. वित्त विभाग के संकल्प सं0-12888 दिनांक 03.12.2024 में निहित निदेशों को अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।
13. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
14. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
15. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजना के वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 5 तारीख तक ऑन लाइन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराएंगे।

16. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण, सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अन्तराल पर अनिवार्य रूप से किया जायेगा एवं कार्यों को स-समय तथा गुणवत्ता पूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जाएंगे।
17. वित्त विभाग के संकल्प सं०-12888 दिनांक 03.12.2024 की कंडिका-17 के आलोक में संबंधित योजना की प्रशासनिक स्वीकृति की वैधता स्वीकृत्यादेश निर्गत करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि तक वैध रहेगी।
18. स्वीकृत्यादेश प्रारूप आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या- मु०अ०(अ०उ०)4515-01-1021/2025 के पृ०- 14/टि० पर दिनांक- 24.07.25 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन



(अनुज कुमार सिंह)

विशेष सचिव।

ज्ञापांक- मु०अ०(अ०उ०)4515-01 -1021/2025 24.7.20 / पटना, दिनांक- 25/07/2025
प्रतिलिपि-संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


विशेष सचिव।

ज्ञापांक- मु०अ०(अ०उ०)4515-01 -1021/2025 24.7.20 / पटना, दिनांक- 25/07/2025
प्रतिलिपि-माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय-व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/ संबंधित उप विकास आयुक्त /अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव बजट शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग/मुख्य अभियंता-4(पूर्णिमा), ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य अंचल/संबंधित कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं आई०टी० नोडल पदाधिकारी को MIS में अपलोड करने हेतु एवं आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


विशेष सचिव।

मुख्य अभियंता-4, पूर्णियाँ का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग।

पत्रांक- II/ मु0अ0-04, त0स्वी0-07-218/25 2366
प्रेषक,

दिनांक- 30-08-25

मुख्य अभियंता-4, पूर्णियाँ 23
ग्रामीण कार्य विभाग।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, किशनगज।

विषय:- ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अररिया के अधीन शीर्ष मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क
उन्नयन योजना (MMGSUY) अन्तर्गत "NH-57 Haria Bara To Araria RS" के
उन्नयन कार्य का प्राक्कलन पर प्रावैधिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक-949 अनु0 दिनांक-23.08.2025
महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त प्रस्तुत 01 (अदद) पथ निर्माण कार्य का
घटनोत्तर प्रावैधिक स्वीकृति परिशिष्ट "क" के अनुरूप निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया
जाता है।

परिशिष्ट 'क'							
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अररिया के अधीन शीर्ष मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना (MMGSUY) अन्तर्गत घटनोत्तर प्रावैधिक स्वीकृति प्रदत्त योजनाओं की सूची:-							
Sl No.	Name of Division	Name of Block	Name of Scheme	Length (KM)	Administrative Approval		TS Details
					Department Ref Lett. No. & Date	Total Cost (in Lakh)	Total Cost (in Lakh)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Araria	Araria	NH-57 Haria Bara To Araria RS	4.100	2720 25.07.2025	759.268	759.268

- स्वीकृत प्राक्कलन की जाँच अधीक्षण अभियंता अपनी स्तर से भी कर लेंगे। यदि किसी प्रकार के संशोधन आवश्यकता हो तो मुख्यालय को सूचित करेंगे।
- स्थल निरीक्षण के आधार पर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रावधानित पुल/पुलियों स्थल के अवश्यता के अनुरूप है। स्थल के अनुरूप नहीं होने पर मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- अधीक्षण अभियंता पथों का निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कार्यों के संबंध में समीक्षात्मक टिप्पणी मुख्यालय को प्रत्येक माह की 5वीं तिथि को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- प्राक्कलन की स्वीकृति को दरों की स्वीकृति न समझी जाए।
- अधीक्षण अभियंता, ग्रा0का0वि0, कार्य अंचल, किशनगज ऐसे मदों के दर, जो अनुसूचित दर में नहीं हैं, का दर विश्लेषण केन्द्रीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति के संयोजक एवं उनके सभी सदस्य को भेजेंगे और समिति की अगली बैठक में उनका अनुमोदन प्राप्त कर लेंगे।
- सामग्रियों की दुलाई निर्धारित रेल हेड के लोडिंग/अनलोडिंग स्थल तक रेलमार्ग से एवं तत्पश्चात् वहां से कार्य स्थल तक ट्रक द्वारा तथा क्वैरी से सीधे कार्य स्थल तक सड़क मार्ग द्वारा दर विश्लेषण कर उक्त दोनों स्थिति की कैरेज कोस्ट की तुलनात्मक विवरणी तैयार कर उसमें से न्यूनतम दर का प्रावधान करते हुए अद्यतन अनुसूचित दर पर अधीक्षण अभियंता परिमाण विपत्र अनुमोदित करेंगे।